

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 12 जुलाई, 2017

शुद्धिपत्र

सा.का.वन. (अ).- भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.वन. 666(अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अवधसूचना सं. 1/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 में,-

- (i) पृष्ठ 3 की पंक्ति 31 में "काफी, चाहे भर्जित या कैफिन रहित है या नहीं" के स्थान पर "काफी भर्जित, चाहे कैफिन रहित है या नहीं" पढ़ें ;
- (ii) पृष्ठ 6 की पंक्ति 21 के पश्चात, स्थापित करें-

|         |      |   |
|---------|------|---|
| "103(अ) | 2302 | चोकर, तीक्ष्ण और अन्य अपशिष्ट चाहे वह गुटिका के रूप में हों या नहीं धान्य के या फलीदार पौधों के, पेषण या अन्य कार्य से व्युत्पन्न हो [जलीय खाद्य जिसके अंतर्गत झींगी खाद्य और झींगा खाद्य भी हैं, कुक्कुट खाद्य और पशु खाद्य, सूखी घास और पुआल, दालों का अनुपूरक और भूसी, सांद्रण और योज्यक, गेहूं का चोकर और तेल निकाला गया केक से भिन्न]; |
|---------|------|---|

- (iii) पृष्ठ 9 की पंक्ति 14 में "2710 19 00" के स्थान पर "2711 19 00" पढ़ें;
- (iv) पृष्ठ 12 की पंक्ति 7 में "84 या 85" के स्थान पर "84, 85 या 94" पढ़ें;
- (v) पृष्ठ 22 की पंक्ति 7 के पश्चात, स्थापित करें-

|        |      |   |
|--------|------|---|
| "16(अ) | 0805 | निम्बुकुल फल, जैसे कि नारंगियां, मेंडारिन, (जिसे अंतर्गत टेन्जेरीन और सटसूमसयी हैं) ; क्लेमेन्टाइन, विलकिंग और अन्य जैसे हि निम्बुकुल हार्डब्रिड, अंगूर फल जिसके अंतर्गत पोमलोस भी हैं, नींबू (निम्बुकुल नींबू, निम्बुकुल लिमोलम) और लाइम (निम्बुकुल आरन्टीफोलिया, निम्बुकुल लैटिफोलिया), शुष्कित"; |
|--------|------|---|

- (vi) पृष्ठ 23 की पंक्ति 17 में "2202 90 10" के स्थान पर "2202 99 10" पढ़ें;
- (vii) पृष्ठ 23 की पंक्ति 18 में "2202 90 20" के स्थान पर "2202 99 20" पढ़ें;
- (viii) पृष्ठ 23 की पंक्ति 19 में "2202 90 90" के स्थान पर "2202 99 90" पढ़ें;
- (ix) पृष्ठ 23 की पंक्ति 20 में "2202 90 30" के स्थान पर "2202 99 30" पढ़ें;
- (x) पृष्ठ 54 की पंक्ति 31 में "2202 90 90" के स्थान पर "2202 99 90" पढ़ें;

(xi) पृष्ठ 62 की पंक्ति 39 के पश्चात, स्थापित करें-

|         |      |   |
|---------|------|---|
| "163(अ) | 8701 | "1800 से अधिक क्षमता के ईजन के अर्ध-अनुयान के लिए सड़क ट्रैक्टर"। |
|---------|------|---|

[फा.सं.354/117/2017-टीआरयू- भाग]

(मोहित तिवारी)  
अवर सचिव, भारत सरकार